

सं०सं०-1/अ०अ०-04/2017-104(1)कए

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
गया।

पटना, दिनांक- 08 / 03 / 2018

विषय:- अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त वेतन एवं भत्ते मद में कुल रू० 2,50,00,000/- (रुपये दो करोड़ पचास लाख) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया के ज्ञापांक-337 दिनांक-20.01.2018 के आलोक में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड-20-2210011100006 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त वेतन एवं भत्ते मद में कुल रू० 2,50,00,000/- (रुपये दो करोड़ पचास लाख) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का कुल आवंटन	पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0006.01.01 वेतन	121075000	146075000	10000000	156075000	10000000	156075000	0
0006.01.03 जीवन यापन भत्ता	112525000	114525000	13700000	128225000	13700000	128225000	0
0006.01.04 मकान किराया भत्ता	11848000	14248000	1100000	15348000	1100000	15348000	0
0006.01.06 चिकित्सा भत्ता	1092000	1292000	50000	1342000	50000	1342000	0
0006.01.07 अन्य भत्ता	3510000	3910000	150000	4060000	150000	4060000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	250050000	280050000	25000000	305050000	25000000	305050000	0

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2), दि०-17.04.98, 2880/वि०(2), दि०-06.05.06, 96/वि०(2), दि०-09.01.08 सह-पठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०-17.03.08, 2938/वि०(2), दि०-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210 -चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0006-मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड-20-2210011100006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत्यादेश सं०-262(1) दिनांक-05.03.2018 द्वारा पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंधित राशि से किया जायेगा।



कमरा:

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेमें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
8. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जाएगी।
9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/अ0अ0-04/2017-104(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 08/03/2018

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, गया/जिलाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञाप संख्या-1/अ0ना0म0मे0कॉ0अ0-02/2018-262(1)/स्वा0, पटना, दिनांक- 05/03/2018

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा-वित्त विभाग

विषय:- माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210 -चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0006-मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड-20-2210011100006 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन एवं भत्ते मद में रू0 2,50,00,000/- (रुपये दो करोड़ पचास लाख) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश- वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत ।

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद में रू0 2,50,00,000/- (रुपये दो करोड़ पचास लाख) मात्र की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

2. उक्त राशि माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210 -चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0006-मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड-20-2210011100006 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा (विवरणी संलग्न)।

3. संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.98, परिपत्र सं0-2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007 एवं 2398 वि0(2) दिनांक 08.04.08 में निदेशित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।


6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


5/3/18
(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/अ0ना0म0मे0कॉ0अ0-02/2018-262(1)/स्वा0, पटना, दिनांक- 05/03/2018
प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बजट शाखा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-1 को
अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


5/3/18
सरकार के विशेष सचिव